बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :– 2/अ0प्र0–1–148/2017 11 /पटना, दिनांक :– 8.3.22

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 के विरूद्ध अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 1055 अनु0 दिनांक 30.01.2018 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 अन्तर्गत इचामारी से हुबलीडांगी पथ में कंकई नदी पर पुल निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2963 अनु0 दिनांक 17.12.2018 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. इस बीच श्री मिश्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत हो गये। श्री मिश्र के पत्रांक शून्य दिनांक 07.08.2019 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–23 सह–पठित ज्ञापांक–1006 अनु0 दिनांक 01.06.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 3252 अनु0 दिनांक 16.08.2021 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री मिश्र के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में उल्लेख किया गया कि संबंधित कार्य का साइट ऑर्डर बुक दिनांक 31.03.2017 को कार्यपालक अभियंता द्वारा खोला गया था एवं मापी पुस्तिका में अंकित कार्यों को 10.04.2017 से 28.04.2017 तक सम्पादित किया गया था, जिसकी सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत साईट ऑर्डर बुक से होती है। संबंधित कार्य सहायक अभियंता द्वारा जॉचित भी है। जहॉ तक मापी पुस्तिका में मापी अंकित करने का प्रश्न है। इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि यह कार्रवाई मापी पुस्तिका में की गयी थी, जिसको कार्यपालक अभियंता के कार्यालय द्वारा बाद में निर्गत किया गया एवं भुगतान भी प्रमंडल के स्तर किया गया था। Site Order Book के अवलोकन से कनीय अभियंता के कथन की पुष्टि होती है। कनीय अभियंता द्वारा Back dating नहीं की जानी चाहिये थी। चूँकि किसी तरह की वित्तीय क्षति का आरोप नहीं है। अतः कनीय अभियंता के कथन से सहमत हुआ जा सकता है। जॉच दल द्वारा एक दिन में दो पाईल का निर्माण बहुत मुश्किल होने के आलोक में आरोप को प्रमाणित माना गया है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मापीपुस्त में दर्ज मापी कार्य की तिथि के अनुरूप है या नहीं। कनीय अभियंता द्वारा पूर्व की तिथियों में निर्मित पाईल की मापी एक साथ की जा सकती है। पाईल की गुणवता पर जॉच दल द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। चूँकि कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायक अभियंता के हस्ताक्षर करने के उपरान्त विपत्र पारित किया गया है। अतः आरोपित पदाधिकारी के कथन से सहमत हुआ जा सकता है। मापी पुस्तिका संख्या–531 के पृ0–14 एवं 15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि Liner के measurement पर सहायक अभियंता द्वारा Liner को Quality की verification के उपरान्त Payment किये जाने remark अंकित किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता ने Liner के Item का भुगतान नहीं किया है। आरोपित पदाधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान Cubetest की छायाप्रति को संलग्न किया है जो कि स्वीकार्य योग्य है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान से सहमत होते हुए आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः उक्त के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–148/2017 566 /पटना, दिनांक :– 8.3.22
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–148/2017 566 /पटना, दिनांक :– 8.3.22
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :–राजाबाजार, बिहियाँ, पो0+थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख